रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112026-277924
CG-DL-E-14112026-277924

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5937] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 2026/कार्तिक 21, 1948
No. 5937] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2026/KARTIKA 21, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2026

का.आ. 6176(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 350 (अ), दिनांक 24 जनवरी, 2020 के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 753एल के खंडवा - बुरहानपुर - मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा जाएगा) को सौंपा गया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए), के नियम 3 के साथ पठित, केंद्र सरकार एतद्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 753एल के बोरगांव बुजुर्ग से शाहपुर खंड के डिज़ाइन किलोमीटर 139.000 से किलोमीटर 186.000 (विद्यमान किमी 145.000 से किमी 192.500) तक के चार लेन के नीचे दी गई सारणी 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 23.9 किमी की निवल सड़क खंड लंबाई [सारणी-2] और 16.4 किमी [सारणी-4] (1.64 किमी की लंबाई वाले) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर तथा दस करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले 21.46

किमी की लंबाई [सारणी-3] वाले बायपासों के लिए आधार दर का डेढ़ गुना की दर से शुल्क उद्गृहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क वसूल करने के लिए अधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहनों के प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी शुल्क की आधार दर (रुपये में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	0.65
हल्का वाणिज्यिक वाहन, हल्का माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.2
तीन-धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.4
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या पृथ्वी मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु-धुरी वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी)	3.45
विशालकाय वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.2

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात: -

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क देय है**	**दर जिस पर शुल्क देय है**
मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले के झिरी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-753एल के डिज़ाइन किमी 162.190 पर	23.9 [बाईपास की 21.46 किमी लंबाई (लागत ≥10 करोड़) और संरचनाओं की 1.64 किमी लंबाई (>60मी) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए देय होगा: -

सारणी - 3						
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	**बाईपास का नाम**	**पर आरंभ होते हुए**	**पर मिलते हुए**	**बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है**		**दर जिस पर शुल्क देय है**
				लंबाई (किमी में)	**लागत (करोड़ रुपये में)**	
मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले के झिरी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-753एल के डिज़ाइन किमी 162.190 पर	एनएच-753एल का झिरी+निम्बोला+ बुरहानपुर+शाहपुर	डिज़ाइन किमी 162.640 (विद्यमान किमी 169.287)	डिज़ाइन किमी 185.540 (विद्यमान किमी 191.968)	46	323.69	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके संरचनाओं की लंबाई को राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:-

सारणी-4			
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	**समतुल्य मार्ग लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (किमी में)**	**समतुल्य मार्ग लंबाई (किमी में)**	**जिस दर पर शुल्क देय है**
मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले के झिरी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-753एल के डिज़ाइन किमी 162.190 पर	1.64^	16.4	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	**चेनेज**	**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (किमी में)**
1.	157.240	बड़ा पुल	0.120
2.	161.924	बड़ा पुल	0.080
3.	165.491	आरओबी	0.100
4.	169.420	बड़ा पुल	0.540
5.	178.670	बड़ा पुल	0.150
6.	180.265	बड़ा पुल	0.120
7.	181.170	बड़ा पुल	0.180
8.	181.540	बड़ा पुल	0.350
	कुल		**1.64**

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के मालिक और शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए वर्ष 2026-27 के लिए मासिक पास की दर 360 रुपये (तीन सौ साठ रुपये मात्र) है और यह उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
देय राशि	**अनुमत एक तरफ की यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**वैधता की अवधि**
एक तरफ की यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए देय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

6. उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय अनुमति के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) जहां शुल्क प्लाजा स्थित है, के लिए शुल्क वाहन की उस श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट दर का 50% होगा, शर्त यह है कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सहायक सड़क या वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए उक्त नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, प्रयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1497.69 करोड़ रुपए है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, प्राधिकरण द्वारा प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से पूंजीगत लागत की वसूली रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. एमपीडीआईवी-21017/59/2025-पीआईयू खंडवा/ई- 262431]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2026

S.O. 6176(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways [number S.O. 350(E) dated the 24th January 2020 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988(68 of 1988)for entrustment to NHAI, the Central Government has entrusted the stretch from Khandwa - Burhanpur – Madhya Pradesh/ Maharashtra Border section of National Highway No.753L in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India, (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 23.9 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 16.4 km[Table-4] (having length of 1.64 km) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 21.46 km [Table-3] costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below, of Four lane of Boregaon Buzurg to Shahpur section from design kilometer 139+000 to kilometer 186+000 (existing km 145+000 to km 192+500) of National Highway number 753L in the State of Madhya Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.2
Three-axle commercial vehicles	2.4
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.2

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At Design Km. 162.190 of NH-753L Near Jhiri village in Burhanpur district of Madhya Pradesh State	23.9 [Excluding 21.46 Km length of Bypass (costing >10 Cr.) and 1.64 Km length of structures (>60m)]	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs. 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s): -

Table -3

Location of Fee Plaza (chainage)	**Name of Bypass**	**Taking off**	**Merging at**	**Length and cost of bypass for which additional fee is payable**		**Rate at which fee is payable**
				Length (in Km.)	**Cost (in Rs. Crore)**	
At Design Km. 162.190 of NH-753L Near Jhiri village in Burhanpur district of Madhya Pradesh State	Jhiri+Nimbola +Burhanpur+ Shahpur of NH-753L	Design Km. 162.640 (existing km 169.287)	Design Km. 185.540 (existing km 191.968)	21. 46	323.69	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above.

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10.

Table-4

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design Km. 162.190 of NH-753L Near Jhiri village in Burhanpur district of Madhya Pradesh State	1.64^	16.4	100% for four or more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under:

Sl. No.	Chainage	Type of Structure	Length (in Km.)
1.	157.240	Major Bridge	0.120
2.	161.924	Major Bridge	0.080
3.	165.491	ROB	0.100
4.	169.420	Major Bridge	0.540
5.	178.670	Major Bridge	0.150
6.	180.265	Major Bridge	0.120
7.	181.170	Major Bridge	0.180
8.	181.540	Major Bridge	0.350
	Total		**1.64**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 360 (Rupees Three Hundred and Sixty only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5

Amount payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and Half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the

basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1497.69 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. MPDIV-21017/59/2025-PIU Khandwa/E- 262431]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA Digitally signed by BHABAJIT DEKA Date: 2026.11.14 17:11:02 +05'30'